न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र सख्या 01/2026

सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 01/2026 एवं 7/2026

राजस्थान सरकार जरिये श्री हेमन्त कुमार आर्य, प्रवर्तन अधिकारी उपखण्ड अजमेर

— प्रार्थी

बनाम

1. श्री मनराज मीणा पुत्र श्री श्योकरण मीणा निवासी डण्ड लक्ष्मीपुरा पो. खरेडा थाना महेन्दवास जिला टोंक
2. श्री नारायण सिंह पुत्र श्री मूल सिंह निवासी लाडपुरा जिला अजमेर
3. श्री रतन जाट निवासी सराधना पुलिस थाना मांगलियावास

— अप्रार्थी

उपस्थितः—

1. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी पेरोकार सरकार
2. श्री खियासिंह रावत अभिभाषक अप्रार्थी 1 से 3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

—ःआदेशः—

दिनांक 21.01.2026

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 17.12.2025 को पुलिस थाना मांगलियावास तहसील अजमेर के ग्राम सराधना में अवैध गैस रिफिलिंग की सूचना प्राप्त होने पर हेमन्त कुमार आर्य प्रवर्तन अधिकारी, अतुल कुमार बडाया प्रवर्तन निरीक्षक एवं राहुल कुमार वेदवाल प्रवर्तन निरीक्षक के साथ मौके पर पहुँचे। जहां पर देखा तो एक गैस का टेंकर रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-19-GF 6446 खडा नजर आया जिसकी आड में तीन—चार व्यक्ति गैस टेंकर में से गैस की चोरी करते नजर आए जिस पर पुलिस द्वारा घेरा डालकर पकड़ने की कोशिश की तो दो व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गये व एक व्यक्ति को मौके पर पकड कर नाम पता पूछा तो अपना नाम मनराज मीणा पुत्र श्री श्योकरण मीणा उम्र 40 साल निवासी डण्ड लक्ष्मीपुरा पो. खरेडा थाना महेन्दवास जिला टोंक का होना बताया। मौके पर देखा तो टेंकर रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-19-GF 6446 इण्डेन गैस से भरा हुआ था। टेंकर के पास में ही (टेंकर के बीच में गैस नोजल के पास) कुल गैस की कॉमर्शियल सिलेण्डर 45 जिनमें कुछ खाली व कुछ भरी हुई थी तथा पास में ही दो इलेक्ट्रीक कांटे, गैस निकालने का होज जिसके चार रेगुलेटर लगे हुये थे इस प्रकार अप्रार्थीगणों का उक्त कृत्य Ms/HSD ruler, 2005 व LPG Order 2000 EC Act 1955 की धारा 3/7, 3/8, 3/10 के तहत एक दण्डनीय अपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा कुल 45 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (19 किग्रा) मय एलीपीजी गैस 61.1 किग्रा, 02 इलेक्ट्रीक कांटे व एक रेगुलेटर मय पाईप, एक टेंकर रजिस्टेशन नम्बर RJ-19-

न्यायालय जिला कलक्टर

जिला कलक्टर
अजमेर

GF-6446 इण्डेन मय एलपीजी, एक लोडिंग टेम्पू रजिस्टेशन नम्बर RJ-14-GR-2008 को राजसात करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 अधिवक्ता श्री खियासिंह रावत उपस्थित आये। सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया ।

पेरोकार सरकार एवं अप्रार्थी अभिभाषक की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस कथन किया कि दिनांक 17.12.2025 को पुलिस थाना मांगलियावास तहसील अजमेर के ग्राम सराधना में अवैध गैस रिफिलिंग की सूचना प्राप्त होने पर हेमन्त कुमार आर्य प्रवर्तन अधिकारी, अतुल कुमार बडाया प्रवर्तन निरीक्षक एवं राहुल कुमार वेदवाल प्रवर्तन निरीक्षक के साथ मौके पर पहुँचे। मौके पर नेशनल हाइवे जयपुर–ब्यावर 58 पर स्थिति पुलिस चौकी सराधना से 200 मीटर टावर की तरफ जाने पर बालाजी होटल रेस्टोरेन्ट के पास स्थित बाडानुमा पार्किग पर पहुँचे। मौके पर थानाधिकारी मांगलियावास दिनेश कुमार द्वारा प्रस्तुत तहरीर में दिनांक 17.12.2025 को पुलिस थाना मांगलियावास की टीम मय जाब्ता जीप सरकार के वास्ते ईलाका गस्त होटल ढाबे चैक करने व अवैध गतिविधियों की रोकथाम हेतु थाना से रवाना होकर गस्त ईलाका करता हुआ बालाजी होटल के पास स्थित पार्किंग सराधना पहुँचा। जहां पर देखा तो एक गैस का टेंकर रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-19-GF 6446 खडा नजर आया जिसकी आड में तीन–चार व्यक्ति गैस टेंकर में से गैस की चोरी करते नजर आए जिस पर पुलिस द्वारा घेरा डालकर पकड़ने की कोशिश की तो दो व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गये व एक व्यक्ति को मौके पर पकड कर नाम पता पूछा तो अपना नाम मनराज मीणा पुत्र श्री श्योकरण मीणा उम्र 40 साल निवासी डण्ड लक्ष्मीपुरा पो. खरेडा थाना महेन्दवास जिला टोंक का होना बताया। मौके पर देखा तो टेंकर रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-19-GF 6446 इण्डेन गैस से भरा हुआ था। टेंकर के पास में ही (टेंकर के बीच में गैस नोजल के पास) कुल गैस की कॉमर्शियल सिलेण्डर 45 जिनमें कुछ खाली व कुछ भरी हुई थी तथा पास में ही दो इलेक्ट्रीक कांटे, गैस निकालने का होज जिसके चार रेगुलेटर लगे हुये थे तथा टेंकर के मध्य तीन वाल्व होकर वायर तार से लगी सील टूटी हुई पाई तथा टेंकर के पास में ही एक लोडिंग टेम्पू जिसके रजिस्टेशन नम्बर RJ-14-GR-2008 है, जिसमें कॉमर्शियल गैस के कुल 33 सिलेण्डर भरे हुए थे। आस पास पूछताछ करने पर होटल–ढाबो वालो ने बताया कि उक्त गैस रिफिलिंग का कार्य नारायण सिंह पुत्र श्री मूल सिंह जाति रावत निवासी लाडपुरा जिला अजमेर व रतन जाट निवासी सराधना शामिल है द्वारा करवाया जा रहा है। मौके पर पहुँचने पर लोडिंग टेम्पू जिसके रजिस्टेशन नम्बर RJ-14-GR-2008 में 33 व्यावसायिक सिलेण्डर्स पाए गये। एक गैस टेंकर कैप्सूल नम्बर RJ-19-GF-6446 इण्डेन गैस जिसमें वाल्व लगा होकर एक नोजल पाई के साथ चार रेगुलेटर्स लगे मिले। इसके पास में ही व्यावसायिक गैस की 12 सिलेण्डर टंकिया पाई गई। टेंकर के बायें तरफ एक खुला स्थान मिला। मौके

जिला कलक्टर
अजमेर

पर पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को डिटेन किया गया जिसका नाम मनराज मीणा पुत्र श्योकरण मीणा निवासी डण्ड लक्ष्मीपुरा जिला टोंक के बयान लिए। मौके पर गेस टेंकर से अवैघ रूप से गैस रेगुलेटर के माध्यम से अवैध रूप से व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों में रिफिलिंग किये जाने पर उक्त व्यावसायिक सिलेण्डरों को जब्त किया गया, इसी क्रम में जमीन पर रखे व्यावसायिक गैस सिलेण्डर्स (कुल 12) जिनमें कुल गैस मात्रा 61.1 किग्रा को मौके पर कब्जेराज लेकर जब्त किया गया। मौके से जब्तशुदा लोडिग टेम्पों नम्बर RJ-14-GR-2008 को अग्रिम आदेश तक पुलिस थाना मांगलियावास को सुपुर्दगी में दिया गया। उक्त जब्तशुदा गैस कैप्सूल इण्डेन टेंकर संख्या RJ-19-GF-6446 को तबीजी अजमेर स्थित गैस प्लांट प्रबंधक एलपीजी सुरक्षा, संजय मीणा को अग्रिम आदेशों तक सुरक्षा मानकों के चलते सुपुर्दगी में दिया गया एवं जब्तशुदा 45 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर्स को मैसर्स भास्कर इण्डेन गैस एजेन्सी आई.ओ.सी. एल सराधना के प्रोपराईटर श्री दिलीप सिंह परोदा को अग्रिम आदेशो तक सुरक्षा की दृष्टि से सुपुर्द किया गया, मौके पर आई.ओ.सी.एल प्लांट तबीजी अजमेर के कांटे पर इस टेंकर का वजन करने पर Gross Weight 34870 Kg पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगणों का उक्त कृत्य Ms/HSD ruler, 2005 व LPG Order 2000 EC Act 1955 की धारा 3/7, 3/8, 3/10 के तहत एक दण्डनीय अपराध है। सबंधित के विरूद्व थाना मांगलियावास में ई.सी.एक्ट 1955 की धारा 3/7 एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं में एफआईआर नं0 0234 दिनांक 17.12.2025 को दर्ज करा दी गई है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा कुल 45 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (19 किग्रा) मय एलीपीजी गैस 61.1 किग्रा, 02 इलेक्ट्रीक कांटे व एक रेगुलेटर मय पाईप, एक टेंकर रजिस्टेशन नम्बर RJ-19-GF-6446 इण्डेन मय एलपीजी, एक लोडिंग टेम्पू रजिस्टेशन नम्बर RJ-14-GR-2008 को राजसात करने के आदेश फरमावे।

जवाब में 1 व 3 ने निवेदन किया गया कि प्रस्तुत परिवाद झूठे व गलत तथ्यों पर आधारित है। जिला रसद अधिकारी ने पार्किंग में खडे टेंकर के विरूद्व झूठा परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा गैस टेंकर से किसी भी प्रकार की कोई अवैध रिफलिंग नहीं की जा रही थी और ना ही टेंकर में नोजल लगा हुआ था परन्तु उक्त सभी तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए झूठा परिवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो खारिज योग्य है। प्रकरण में जब्तशुदा टेंकर है जिसमें गैस भरी हुई है उसके वजन में कोई कमी नही हुई है इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त टेंकर से किसी भी प्रकार की कोई रिफलिंग नहीं की गई है। अतः परिवाद को निरस्त फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 2 ने निवेदन किया गया कि जिला रसद अधिकारी ने झूठे तथ्यों के आधार पर उक्त परिवाद प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 मनराज मीणा से अप्रार्थी संख्या 2 नारायण सिंह ने कोई घरेलू सामान मंगवाया था जिसके बाबत उससे जरिये टेलिफोन बातचीत की थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 3 एक ही कम्पनी में गाड़ी चलाते है इस कारण आपस में दोनो के बीच में

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

बातचीत होती रहती है, मात्र मोबाईल द्वारा आपस में बातचीत होने के आधार पर ही जिला रसद अधिकारी ने अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध उक्त परिवाद पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 का उक्त प्रकरण से दूर दूर तक कोई लेना देना नही था एवं ना ही लेना देना है इसके उपरांत भी अप्रार्थी संख्या 2 को किसी भी प्रकार का कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर एक तरफा कार्यवाही करते हुए झूठा परिवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अतः परिवाद को निरस्त फरमावें ।

प्रार्थी श्री अर्जुन पाठक पुत्र श्री ताडकेश्वर निवासी 5/53 हाउसिंग बोर्ड नांदला तहसील नसीराबाद जिला अजमेर बहैसियत मुख्तयारआम सतीश अग्रवाल पुत्र श्री धनराज अग्रवाल द्वारा 27 अग्रवाल रोड लाईन्स जीआईडीसीरंगोली जिला बडौदरा गुजरात ने सुपुदर्गीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी का महिन्द्रा टेंकर नंबर RJ-19-GA-6446 जिला रसद अधिकारी ने अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो वाहन जब्त किया गया है वह वाहन किसी प्रकार से अवैध गतिविधि में लिप्त नहीं है ना ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। प्रार्थी उपरोक्त वाहन का एक मात्र मुख्त्यार आम चला आ रहा है। जिला रसद अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पूर्ण कर लिया गया है तथा अब किसी भी प्रकार की बरामदगी व अनुसंधान शेष नहीं है। जिला रसद अधिकारी को उपरोक्त वाहन की कोई आवश्कता नहीं है। तथा उक्त वाहन थाने पर देख रेख के अभाव में क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। उपरोक्त वाहन प्रार्थी का दैनिक रोजमर्रा का आवश्यक साधन है जिसके अभाव में प्रार्थी को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः उपरोक्त वाहन महिन्द्रा टेंकर नंबर RJ-19-GA-6446 को सुपुदर्गीनामें सौपे जाने का आदेश प्रदान कराने का अनुरोध किया।

प्रार्थिया श्रीमती नर्बदा पत्नी नरेन्द्र सिंह निवासी नया बड़गांव जिला अजमेर द्वारा सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थिया की टाटा एसीई गोल्ड टेम्पो नम्बर RJ-14-GR-2008 जिला रसद अधिकारी अजमेर ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त किया गया है जो किसी भी गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त नहीं था। प्रार्थिया उपरोक्त वाहन की एक मात्र पंजीकृत स्वामी हैं। अतः वाहन को सुपुर्दगीनामे पर छोड़ा जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करें।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। चूंकि अप्रार्थी द्वारा जवाब बहस में ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य, सबूत के नही किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनों का खण्डन करते हो। वरवक्त जांच दिनांक 17.12.2025 को पुलिस थाना मांगलियावास तहसील अजमेर के ग्राम सराधना में अवैध गैस रिफिलिंग की सूचना प्राप्त होने पर हेमन्त कुमार आर्य प्रवर्तन अधिकारी, अतुल कुमार बडाया

जिला कलक्टर
अजमेर

प्रवर्तन निरीक्षक एवं राहुल कुमार वेदवाल प्रवर्तन निरीक्षक के साथ मौके पर पहुँचे। मौके पर थानाधिकारी मांगलियावास दिनेश कुमार द्वारा प्रस्तुत तहरीर में दिनांक 17.12.2025 को पुलिस थाना मांगलियावास की टीम मय जाब्ता जीप सरकार के वास्ते ईलाका गस्त होटल ढाबे चैक करने व अवैध गतिविधियों की रोकथाम हेतु थाना से रवाना होकर गस्त ईलाकार करता हुआ बालाजी होटल के पास स्थित पार्किंग सराधना पहुँचा। जहां पर पाया एक गैस का टेंकर रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-19-GF 6446 खडा नजर आया जिसकी आड में तीन–चार व्यक्ति गैस टेंकर में से गैस की चोरी करते नजर आए जिस पर पुलिस द्वारा घेरा डालकर पकडने की कोशिश की तो दो व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गये व मौके पर टेंकर रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-19-GF 6446 इण्डेन गैस से भरा हुआ था। टेंकर के पास में ही (टेंकर के बीच में गैस नोजल के पास) कुल गैस की कॉमर्शियल सिलेण्डर 45 जिनमें कुछ खाली व कुछ भरी हुई थी तथा पास में ही दो इलेक्ट्रीक कांटे, गैस निकालने का होज जिसके चार रेगुलेटर लगे हुये थे तथा टेंकर के मध्य तीन वाल्व होकर वायर तार से लगी सील टूटी हुई पाई तथा टेंकर के पास में ही एक लोडिंग टेम्पू जिसके रजिस्टेशन नम्बर टेंकर RJ-14-GR-2008 है, जिसमें कॉमर्शियल गैस के कुल 33 सिलेण्डर भरे हुए थे। मौके पर लोडिंग टेम्पू जिसके रजिस्टेशन नम्बर टेंकर RJ-14-GR-2008 में 33 व्यावसायिक सिलेण्डर्स पाए गये। एक गैस टेंकर कैप्सूल नम्बर RJ-19-GF-6446 इण्डेन गैस जिसमें वाल्व लगा होकर एक नोजल पाईप के साथ चार रेगुलेटर्स लगे मिले। इसके पास में ही व्यावसायिक गैस की 12 कुल सिलेण्डर टंकिया पाई गई। मौके पर गैस टेंकर से अवैध रूप से गैस रेगुलेटर के माध्यम से व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों में रिफिलिंग किये जाने पर उक्त व्यावसायिक सिलेण्डरों को जब्त किया गया, इसी क्रम में जमीन पर रखे व्यावसायिक गैस सिलेण्डर्स (कुल 12) जिनमें कुल गैस मात्रा 61.1 किग्रा को मौके पर कब्जेराज लेकर जब्त किया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगणों का उक्त कृत्य Ms/HSD ruler,2005 व LPG Order 2000 EC Act 1955 की धारा 3/7, 3/8, 3/10 के तहत एक दण्डनीय अपराध है। सबंधित के विरूद्व थाना मांगलियावास में ई.सी.एक्ट 1955 की धारा 3/7 एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं में एफआईआर नं0 0234 दिनांक 17.12.2025 को दर्ज कराई गई। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, तथा कब्जेराज लिये गये जब्तशुदा कुल 45 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (19 किग्रा) मय एलीपीजी गैस 61.1 किग्रा, 02 इलेक्ट्रीक कांटे व एक रेगुलेटर मय पाईप, एक टेंकर रजिस्टेशन नम्बर RJ-19-GF-6446 में भरी इण्डेन एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत् राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें। इस न्यायालय को कब्जे राज ली गई आवश्यक वस्तु (Essential Commidity) तथा उसके दुरूपयोग हेतु वहन किये जाने वाले वाहन के निस्तारण के अधिकार प्राप्त है। चूंकि वाहन टेंकर रजिस्टेशन नम्बर RJ-19-GF-6446 एवं लोडिग टेम्पों नम्बर RJ-14-GR-2008 का उपयोग गैस टेंकर से अवैध रूप से गैस रेगुलेटर के माध्यम से व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों में रिफिलिंग किया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में जबकि अप्रार्थीगण ने इन वाहनो को सुपुर्दगीनामें पर दिए जाने का निवेदन किया है। जब्तशुदा वाहन को राजसात करने के आदेश से पूर्व आवश्यक वस्तु अधिनियम में

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

दिये गये प्रावधानो के मध्यनजर जब्तशुदा वाहन द्वारा अवैध गैस रिफलिंग किए जाने पर जब्तशुदा टेंकर रजिस्टेशन नम्बर RJ-19-GF-6446 पर 1,00,000 (अक्षरे एक लाख रूपये मात्र) एवं लोडिंग टेम्पों नम्बर RJ-14-GR-2008 पर 50,000/- (अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र) की शास्ति राशि आरोपित की जाती है। जब्तशुदा सामग्री 45 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (19 किग्रा) मय एलपीजी गैस 61.1 किग्रा, 02 इलेक्ट्रीक कांटे व एक रेगुलेटर मय पाईप, टेंकर रजि नम्बर RJ-19-GF-6446 में भरी एलपीजी का जिला रसद अधिकारी अजमेर सम्बन्धित ऑयल कम्पनी/रसद विभाग के निर्देशानुसार नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करें और निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा करावें। आरोपित शास्ति राशि जमा कराने पर जब्तशुदा वाहन टेंकर रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-19-GF-6446 तथा लोडिंग टेम्पों नम्बर RJ-14-GR-2008 की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर नियमानुसार बाद मालिकाना हक (स्वामित्व), दस्तावेज जांच के सम्बन्धित को सुपुर्द करें। चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण, मूल 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का अन्तिम निस्तारण उक्त आदेश से किया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी श्री अर्जुन पाठक द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 01/2026, प्रार्थी नर्बदा पत्नि नरेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत सुपुदर्गीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 07/2026 द्वारा जब्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी पर छोडे जाने बाबत् न्यायालय हाजा द्वारा पारित इस अन्तिम आदेश के परिपेक्ष्य में उक्त दोनो प्रार्थना पत्रों का कोई औचित्य नहीं रहने, सारहीन हो जाने के कारण इसी स्तर पर इसी कदर से निस्तारित किये जाते है। दोनो प्रार्थना पत्र (सुपुर्दगीनामा) फैसल शुमार हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.01.2026 को बाद हस्ताक्षर के सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर , अजमेर